राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) आगामी 27 फरवरी को

16 दिसम्बर 2024 से 15 जनवरी 2025 तक होंगे रीट के आवेदन

अजमेर, (कासं)। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट-2024) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रीट परीक्षा के लिए लेवल एक व दो के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 दिसंबर से शुरू होगी और 15 जनवरी 2025 तक चलेगी। अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस बार रीट परीक्षा 27 फरवरी 2025 को आयोजित की जाएगी।

सचिव कैलाश चन्द्र शर्मा ने बताया कि इस बार रीट परीक्षा के पैटर्न में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। परीक्षा ओएमआर शीट पर होगी और इसमें पांचवां विकल्प (पांचवा ऑप्शन) शामिल किया गया है। यह बदलाव परीक्षा को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के उद्देश्य से किया गया है।

दो पारियों में होगी परीक्षा :- सचिव कैलाश चन्द्र शर्मा ने बताया किरीट 2024 परीक्षा दो अलग-अलग स्तरों (लेवल) की होगी, जो एक ही दिन में दो पारियों में आयोजित की जाएगी। प्राथमिक स्तर (लेवल 1) और उच्च प्राथमिक स्तर (लेवल 2) की परीक्षाएं अलग-अलग समय पर होंगी। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि दोनों परीक्षाओं के संचालन में कोई परेशानी न हो। प्रथम पारी की परीक्षा 27 फरवरी को प्रात: 10 बजे से 12.30 बजे तक होगी। द्वितीय पारी की परीक्षा दोपहर 3 बजे से सायं 5.30 बजे तक आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी अधिक होने की स्थिति में परीक्षा का एक दिन बढ़ाया जा सकता है।

> ■ **परीक्षा ओएमआर शीट पर होगी और इसमें पांचवां विकल्प (पांचवां ऑप्शन) शामिल किया गया है**

परीक्षा केंद्र और सुरक्षा इंतजाम :- उन्होंने बताया कि परीक्षा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने यह भी सुनिश्चित किया है कि परीक्षा को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए सख्त सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और निगरानी के लिए विशेष टीमें तैनात की जाएंगी।

बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है लिंक :- रीट परीक्षा 2024 से संबंधित सभी जानकारियां और आवेदन लिंक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। लेवल एक व दो के लिए 550 रूपए परीक्षा शुल्क रखा गया है। कोई अभ्यर्थी दोनों लेवल के लिए आवेदन करता है तो उसे 750 रूपए शुल्क देना होगा।

29 जुआरी पकड़े, 10.87 लाख की नगदी जब्त

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के कारोई थाना क्षेत्र में एक फार्म हाउस पर जुआ खेल रहे 29 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं दांव पर लगे 10.87 लाख की नकदी व जुआ सामग्री के साथ ही नौ लग्जरी वाहन जब्त किये हैं।

जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्रसिंह ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा निरन्तर राज्य में जुआ, शराब, हथियार व मादक पदार्थ की धरपकड़ के लिए निर्देश जारी किये गये हैं। इसी के तहत एएसपी सहाड़ा रोशन पटेल व डीएसपी गंगापुर रविन्द्रप्रताप सिंह के सुपरविजन में कारोई व गंगापुर थाना पुलिस की टीम गठित की गई। इस बीच, कारोई पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सुंदरपुरा में स्थित फार्म हाउस में जुआ खेला जा रहा है।

इस सूचना पर पुलिस टीम ने फार्म हाउस पर दबिश देकर घेराबंदी की। मौके पर 29 लोग घोड़ादाना पर रुपयों का दांव लगाकर जुआ खेलते मिले। पुलिस ने सभी 29 जुआरियों को गिरफ्तार कर मौके से 10 लाख 87 हजार 50 रुपये की नकदी व जुआ सामग्री के साथ ही नौ लग्जरी वाहन जब्त किये।

नाबालिग से दुराचार व हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

कोर्ट ने दो लाख के अर्थदंड से दंडित किया

अजमेर, (कासं)। नाबालिग बालिका से दुराचार कर जहर देकर हत्या करने के मामले में बुधवार को अजमेर की पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 के न्यायाधीश ने आरोपी युवक को अंतिम सांस तक आजीवन कारवास की सजा सुनाते हुए दो लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया।

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि परिवादी ने मसूदा थाने में 2 अगस्त 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया कि उनकी 16 साल की बेटी को आरोपी शंभूसिंह सुबह करीब नौ बजे अपने साथ खेत पर ले गया, जहां उसने उसके साथ दुराचार कर विषाक्त पदार्थ का सेवन करा दिया। खेत से जब उनकी बेटी घर पर आई तो उसे स्थानीय अस्पताल में उपचार के लिए लेकर गए, चिकित्सकों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए अजमेर के जेएलएन अस्पताल रैफर कर दिया। अस्पताल में छह दिन तक मासूम जीवन और मौत के बीच संघर्ष करती रही और उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

मसूदा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के साक्ष्य छुपाने के आरोप में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। परिहार ने बताया कि अस्पताल में पीड़िता के बयान दर्ज नहीं को सके थे। अभियोजन पक्ष की प्रकरण में सर्कमट्रांसिस एविडेंस और पीड़िता के शरीर से लिए गए वीसरा रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 21 गवाह और 34 दस्तावेज पेश किए गए थे।

पोस्टमार्टम से हुआ खुलासा :- लोक अभियोजक परिहार ने बताया कि मृतका का मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम करवाया गया था। कोर्ट में डॉक्टर ने दिए बयान में बताया कि मृतका के दाहिने तरफ एंगल आफ माउथ पर कुचला हुआ घाव के चोट के निशान थे, जो 24 घंटे के भीतर के निशान थे। डॉक्टर ने बताया कि मृतका के शरीर में जहर पाया गया। पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे अपराध करने वालों के विरुद्ध नरमी का रूप अपनाया जाना न्यायोचित नहीं है, अंत कठोर धन से दंडित किया जाए।

सराड़ी गांव में खेत में किसानों को लेपर्ड दिखा

उदयपुर, (का.सं.)। उदयपुर संभाग के सलूंबर के सराड़ी गांव में बुधवार को भी लेपर्ड देखा गया । खेत में लेपर्ड को देखकर ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया है। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह खेत में पानी देने पहुंचे चार किसानों के सामने अचानक लेपर्ड आ गया और गुर्राते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगा। सबने मिलकर शोर मचाया तो लेपर्ड झाड़ियों में भाग निकला।

बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे सराड़ी के पास लेपर्ड के पास खेत में काम कर रहे भैरा गायरी, बाबर गायरी, रूपा सालवी, किशन सालवी, देवा तवेड ने देखा। सराड़ी में कालीमगरी, गामरा कुआं पर खेती करने वाले झमकलाल ने बताया कि सुबह के समय बिजली की आपूर्ति होने से खेतों में पानी देने जाना पड़ता है। आज सुबह 7:30 बजे भैरा गायरी, बाबर गायरी, रूपा सालवी, किशन सालवी, देवा तवेड उनके खेत की दीवार के पास बैठे थे।

इसी दौरान पत्तों की सरसराहट हुई और एक लेपर्ड दीवार कूदकर खेत में घुसता नजर आया। वह उन पांच लोगों से करीब 35 फीट दूरी पर था। देखने में बड़ा भयानक लग रहा था। गुर्राहट भी साफ सुनाई दे रही थी। हमने सबने मिलकर कर शोर मचाया तो लेपर्ड तुरंत दीवार कूदकर दोबारा झाड़ियों में भाग गया। हमारी मांग है कि खेतों की तरफ भी पिंजरे लगाए जाएं ताकि लेपर्ड पकड़ में आ सके।

> ■ **दो दिन पहले भी दिखा था लेपर्ड़, ग्रामीणों में भय, वन विभाग व प्रशासन से पिंजरा लगाने की मांग की**

लेपर्ड की दिखाई देने की ग्रामीणों ने सूचना भाजपा जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी को दी। जोशी ने इस मामले में सलूंबर जिला कलेक्टर जेएस संधू और वन विभाग के अधिकारी लोकेंद्र सिंह से बात कर पिंजरा लगाने की मांग की। इससे दो दिन पहले सोमवार को इसी खेत के पास ग्रामीणों को देर रात टॉर्च की रोशनी में लेपर्ड नजर आया था। बड़ा सा लेपर्ड और उसकी चमकीली आंखें देख ग्रामीण जान बचा कर वहां से भागे और 2 दिन तक खेत पर ही नहीं गए।

भाजपा जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी ने बताया. वे ग्रामीणों की सूचना पर गांव में गए और अधिकारियों से बात कर पिंजरा लगाने की मांग की। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि लेपर्ड का मूवमेंट बढ़ा हुआ है ऐसे में सावधानी जरूरी है। उन्होंने कहा कि बच्चों को भी सावचेत करें और अकेले बाहर नहीं निकलने दें।

जोशी ने बताया कि वन विभाग के पास इस रेंज में एक ही पिंजरा है जबकि लेपर्ड के मूवमेंट की शिकायतें आसपास के अन्य गांवों से भी आ रही हैं। जोशी ने इस संबंध में सलूंबर विधायक शांता देवी मीणा से बात कर कहा कि करावली वन नाका के लिए एक अलग पिंजरे की व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि जयसमंद कैचमेंट एरिया मेवल क्षेत्र में लेपर्ड के हमले की शिकायतें ज्यादा आ रही है।

विवाहिता की मौत

भरतपुर, (निसं)। विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने पर उसके परिजनों की शिकायत पर बुधवार को जिला आरबीएम अस्पताल में मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से कराया गया, जिसके बाद मथुरा गेट थाना पुलिस ने शव को मृतका के परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि मृतका के पति ने महिला की हत्या की है। महिला की मौत गुड़गांव में होने पर परिजनों की शिकायत पर मथुरा गेट थाना पर जीरो डिग्री की एफआईआर दर्ज की गई है। मृतका के परिजनों ने बताया कि इसी वर्ष 26 अप्रैल को नीतू व उसकी बहन निशा की शादी नगर निवासी विकास व उसके भाई शिवम के साथ हुई थी।

शादी पर सामर्थ्य के हिसाब से खर्चा किया, लेकिन नीतू का पति विकास दहेज में मिली मोटरसाइकिल से संतुष्ट नहीं था। शादी के कुछ दिनों बाद ही विकास ने कार की मांग को लेकर नीतू के साथ मारपीट व प्रताड़ना शुरू कर दी, जिसके बाद कई बार समझाइश भी की गई, जिसके बाद विकास नीतू को लेकर गुड़गांव में रहकर कार्य करने लगा। वहां भी दहेज की मांग को लेकर विकास के द्वारा नीतू से कई बार मारपीट की गई।

भारतीय बंदरगाह संघ
प्रथम तल, एनबीसीसी प्लेस, साउथ टॉवर, बी.पी. मार्ग, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

भारत के विभिन्न प्रमुख बंदरगाहो में सिविल इंजीनियरिंग अनुशासन में कार्यकारी स्तर के पदो की भर्ती

भर्ती सूचना-अंतिम तिथि विस्तार

कृपया विज्ञान संख्या ADVT No. 2024/SGR/01 का संदर्भ लें। ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 26.12.2024 तक बढ़ा दी गई है। अन्य सभी शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी। भर्ती प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट www.ipa.nic.in पर उपलब्ध है।

CBC 37203/12/0011/2425 **मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)**

कार्यालय ग्राम पंचायत जयरामपुरा
पंचायत समिति खण्डेला (सीकर)

पत्रांक-95 दिनांक-02.12.2024

ई-निविदा सूचना संख्या-2/2024-25

इस कार्यालय द्वारा सीसी ब्लॉक निर्माण के कार्य को पूर्ण सम्पादित करने हेतु एक वर्ष की डिफेक्टिव लाईब्लिटी के साथ उपर्युक्त श्रेणी के राजस्थान/केन्द्र सरकार में पंजीकृत संवेदकों से ई टेण्डर प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। उक्त निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है।

उक्त कार्य के NIB NO. PIT2425A0222 and UBN NO. PIT2425WSOB00230 है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत जयरामपुरा
पं.स. खण्डेला

सरपंच
ग्राम पंचायत जयरामपुरा
प.स. खण्डेला

फॉर्म ए
सार्वजनिक घोषणा
(भारत सरकार के दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, २०१७ के विनियमन १४ के तहत)
डीकर्टिस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

क्रम	विवरण	विस्तृत विवरण
१	कॉर्पोरेट व्यक्ति का नाम	डीकर्टिस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
२	कॉर्पोरेट व्यक्ति की पंजीकरण तिथि	१० जून २०१९
३	वह प्राधिकरण जिसके तहत कॉर्पोरेट व्यक्ति पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जयपुर
४	कॉर्पोरेट पहचान संख्या / सीमित देयता पहचान क्र	U72900RJ2019FTC065226
५	कॉर्पोरेट व्यक्ति का पंजीकृत कार्यालय और प्रमुख कार्यालय (यदि कोई हो):	३/९१ एसएफएस अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, एसएफएस, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान, ३०२०२०
६	कॉर्पोरेट व्यक्ति की परिसमापन प्रारंभ तिथि	१० दिसंबर २०२४
७	परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता, फोन नंबर और पंजीकरण संख्या :	सुनील गजानन नानल सी/ओ कंज एंड कंपनी एलएलपी, कंपनी सचिव, ३-४, ऐश्वर्या संकुल, १७ जी.ए. कुलकर्णी पथ, जोशी रेलवे म्यूजियम के सामने, कोथरुड, पुणे - ४११०३८ स्थायी पता : फ्लैट नंबर ८, प्रियंजलि, गली नंबर ६, दहनुकर कॉलोनी, कोथरुड, पुणे - ४११०३८ ईमेल: sunil.nanal@kanjcs.com आईबीबीआई/आईपीए-००२/आईपी-००१९४ /२०१७-१८/१०५६०
८	दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	९ जनवरी २०२५

इस माध्यम से यह सूचित किया जाता है कि **डीकर्टिस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड** ने १० दिसंबर २०२४ से स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया प्रारंभ की है।

डीकर्टिस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के सभी हितधारकों को अनुरोध किया जाता है कि वे अपने दावों के प्रमाण ९ जनवरी २०२५ तक, ऊपर वर्णित पते पर परिसमापक को प्रस्तुत करें।

वित्तीय ऋणदाता अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करें। अन्य सभी हितधारक अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

झूठे या भ्रामक दावों के प्रमाण प्रस्तुत करने पर दंड लगाया जा सकता है।

तारीख : १२/१२/२०२४ **सुनील गजानन नानल**
जयपूर **परिसमापक**
आईबीबीआई/आईपीए-००२/आईपी-००१९४/२०१७-१८/१०५६०

*उपरोक्त सार्वजनिक घोषणा मूल अंग्रेजी सार्वजनिक घोषणा का स्वैच्छिक अनुवाद है।
संदर्भ स्पष्टीकरण और अन्य कानूनी मामलों के लिए मूल अंग्रेजी नोटिस को ही मान्य माना जाएगा।